राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा./रा.का./09/ 12930-62 जयपुर,दिनांकः 17.9.09

समस्त जिला कलक्टर,
(अभावग्रस्त जिले)
राजस्थान।

विषयः-अभाव वर्ष 2066 अन्तर्गत सम्पादित होने वाले राहत कार्यों के लिए निर्देश।
सन्दर्भः-विभागीय अभाव घोषणा अधिसूचना कमांक 11723 दिनांक 25.8.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिघोषणा के कम में लेख है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को जीवकोपार्जन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त प्रभाव से राहत कार्य चलाने का निर्णय लिया गया है। राहत कार्यों को सम्पादित कराने की संचालन प्रकिया आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अध्याय 3 एवं 4 में सम्पूर्ण रूप से दी हुई है। राज्य के सभी जिलों में एन.आर.ई.जी.पी. के कार्य चल रहे हैं व इन पर 100 दिन का श्रम रोजगार लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है। अभावग्रस्त क्षेत्र के जिन प्रभावित परिवारों के व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार इस योजना के तहत मिल चुका है एवं उन्हें अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता है, ऐसे प्रभावित परिवारों को आधार मानकर जिला कलक्टर स्वंय के स्तर पर आंकलन कर ऐसे **श्रमिकों के नियोजन सम्बन्धी मांग आगामी माह के लिए पूर्व माह की बीस तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें** जिससे कि विभाग के स्तर पर आवश्यक स्वीकृति जारी की जा सकें। राहत कार्यो पर श्रमिक सीमा का आवंटन जिलों द्वारा प्रेषित मांग के आधार पर इस विभाग द्वारा अलग से प्रतिमाह किया जायेगा एवं राहत कार्यों का संचालन आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप करानेकी पालना सुनिश्चित की जाए। उक्त आदेशों के अतिरिक्त निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाऐं:-

1. राहत कार्यों का संचालन आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के तहत किया जायेगा, परन्तु उक्त निर्देशों के तहत यदि राहत कार्य कियान्वयन करने में व्यवधान आ रहा हो तो उस स्थिति में नरेगा योजना में उपलब्ध कार्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से कार्य सम्पादित किये जा सकते है।
2. वर्तमान व्यवस्था के तहत सी.आर.एफ. मद से सामग्री अनुभाग के लिए किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी केवल श्रम पेटे ही भुगतान श्रमिकों को किया जाऐगा।
3. सहायता विभाग के तहत प्रदत्त श्रमिक सीमा के अन्तर्गत उन कार्यो को प्राथमिकता से लिया जाए जो कि अभाव अवधि दरमियान ही पूर्ण हो सके अथवा राहत कार्य अवधि पश्चात नरेगा अथवा अन्य विभागीय योजनाओं के तहत इन्हें अपूर्ण रहने पर पूर्ण कराया जा सके।

पेज.

4. पूर्व वर्षों के अपूर्ण कार्य एवं जल संग्रहण के कार्यों को राहत कार्यों में प्राथमिकता दी जाऐं।

5. सामग्री व्यय के स्त्रोत अन्य विभागीय योजनाओं में तलाशते हुए राहत मद से श्रम व्यय कर स्थाई प्रकृति के कार्यों को श्रम मद से डवटेल कर कराया जा सकता है बशर्ते ऐसे कार्य अभाव अवधि समाप्त होने पर यदि ये अपूर्ण रहते है तो सम्बन्धित विभाग स्वयं के मद से समस्त राशि व्यय कर इन्हे पूर्ण कराऐ।

6. वित्तीय वर्ष 2009–10 में ग्रामीण विकास विभाग की नरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार का एक सदस्य राहत कार्यों पर 10 दिवस के लिए रोटेशन अनुसार नियोजन किये जाने हेतु पात्र है।

7. राहत कार्यों के अन्तर्गत नरेगा योजना में चिन्हीत कार्यों को कराया जावेगा, परन्तु राहत कार्य अवधि समाप्त पश्चात यदि कार्य अपूर्ण रहता है तो इसे आगामी वित्तीय वर्ष में नरेगा योजना में उपलब्ध धनराशि से ही पूर्ण कराया जायेगा।

8. राहत कार्य प्रत्येक माह में तीन चरणों के अन्तर्गत 10 दिवस की अवधि के लिए रोटेशन अनुसार खोले जायेंगे।

9. राहत कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान राहत मद से नरेगा योजना में उपलब्ध श्रम भुगतान प्रावधानों के तहत ही किया जायेगा।

10. राहत कार्य इस विभाग के मस्ट्रोल पर कराये जायेंगे। श्रमिकों को श्रम का भुगतान 10 दिन के चरण समाप्ति के पश्चात अगले 10 दिवस की अवधि दरम्यान में निश्चित तौर पर नरेगा के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर दिया जाऐं।

11. श्रमिकों के कार्य स्थल पर छाया, पेयजल, दवाईयां, स्वास्थ्य परीक्षण छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था आदि राहत कार्य निर्देशिका में दिये गये प्रावधानानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

12. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभावग्रस्त जिलों में आपातकालीन पेयजल आपूर्ति हेतु यदि श्रमिको की आवश्यकता महसूस की जाती है तो जिला कलक्टर प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अधिकतम 20 श्रमिक की सीमा तक राहत मद से आवश्यकतानुसार श्रम नियोजन कर सकते हैं।

13. राहत कार्यों का समय समय पर विकास अधिकारी संबंधित विभागीय अधिकारी, तहसीलदार (25 प्रतिशत) उपखण्ड अधिकारी (10 प्रतिशत) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलक्टर (5 प्रतिशत) एवं जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा।

14. संभागीय स्तर पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में उपरोक्त स्थिति की समीक्षा की जायेगी एवं समीक्षा स्थिति का प्रतिवेदन इस विभाग को आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

15. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका में उल्लेखित कार्यो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्य इस विभाग की सहमति के बिना नहीं किये जा सकेगें। यदि जिला कलक्टर उन्हे आवश्यक समझते है तो इनके प्रस्ताव अलग से विभाग को भेज सकते है।

16. संबंधित विभाग यदि स्थाई प्रकृति का कार्य राहत कार्यो में कराना चाहते है तो उन्हे सामग्री मद की राशि स्वयं के विभागीय मद से उपलब्ध कराना होगा। क्योंकि राहत मद से केवल श्रम का भुगतान ही अनुमत है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसे कार्य अभाव अवधि के दौरान पूर्ण कर लिये जाये एवं इन कार्यों पर श्रमिक चयन नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किये परिवारों से ही किया जाऐं।

17. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/अन्य कार्यकारी एजेन्सियां राहत कार्यो के प्रस्तावो की सूची चिन्हित कर सम्बन्धित जिला कलक्टर को भेजेगें। जिला कलक्टर अपने स्तर से इन कार्यों की स्वीकृति जारी करेगें। स्वीकृत कार्यों के लिए मस्ट्रोल फार्म भी जिला कलक्टर जारी करेगें एवं मस्ट्रोल फार्म के मांगपत्र इस विभाग को अलग से भेजेगें, ताकि उन्हें ये उपलब्ध कराऐ जा सकें।

18. जिला कलेक्टर श्रमिक नियोजन के आदेश इस संबध में तैयार किए गए कम्प्यूटर एप्लिकेशन के द्वारा ही जारी किए जाएँ न कि टंकण के द्वारा जिससे कि पूरे राज्य के लिए सूचना समग्र रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध रहे।

19. राहत कार्यो के तहत ग्रामीण विकास अभिकरण के अतिरिक्त अन्य कार्यकारी अभिकरणों के कार्य भी सम्पादित किये जायेगे, परन्तु इन कार्यो पर श्रम नियोजन नरेगा योजना में 100 दिन पूर्ण किये श्रमिकों के अन्तर्गत ही होगा एवं श्रमिक भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया भी नरेगा योजना मे उपलब्ध प्रावधान अनुसार ही जायेगी।

अन्य सभी दिशा-निर्देश आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका द्वारा जारी आदेशों के तहत शासित होंगे।

भवदीय,

16/9/09

शासन सचिव

प्रतिलिपि: -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,राज0,जयपुर।
2. [illegible] शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,राज0,जयपुर।
3. [illegible] विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री (सहायता) राज0,जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला प्रभारी मंत्री,राज0,जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0,जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त सिंचाई, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज0,जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुक्त नरेगा योजना।
8. सचिव, जिला प्रभारी,राजस्थान।
9. संबंधित संभागीय आयुक्त,राजस्थान।
10. संबंधित जिला कलक्टर,राजस्थान।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0,जयपुर।

16/9/09

शासन सचिव